भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न सं 3979
(बुधवार, 17.07.2019 को उत्तर देने के लिए)

जीपीएफ अग्रिम/निकासी नियमों में संशोधन

3979. श्री राजकुमार चाहरः

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगेकिः

(क) क्या सरकार ने लोक भविष्य निधि(जीपीएफ) में अंशदान करने वाले केन्द्र सरकारके कर्मचारियों की दो आवासों-अर्थात् एक उनकेगृहनगर में और दूसरा उनके कार्यस्थल का स्वामित्वरखने की आवश्यकता का संज्ञान लिया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है औरआवासीय प्रयोजन के कारण जीपीएफ अंशदाताअपने जीपीएफ से कितनी बार धनराशि निकालनेके हकदार हैं;
(ग) क्या सरकार की आवासीय प्रयोजन हेतुअपने जीपीएफ खातों से दो बार धन-निकासी कीअनुमति देने वाले जीपीएफ अग्रिम राशि/निकासीनियमों जो केन्द्र सरकार के कर्मचारियों पर लागूहैं, को संशोधन करने की योजना है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है औरयदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री
(डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (घ) : सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवा) नियम, 1960 के अनुसार, किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा सामान्य भविष्य निधि में कुल जमा राशि के 90 प्रतिशत तक की राशि की निकासी अपने निवास हेतु उपयुक्त घर का निर्माण किए जाने अथवा बना-बनाया फ्लैट अधिगृहीत किए जाने के लिए अनुमत है।

वर्तमान नियमों एवं अनुदेशों के अनुसार, यदि किसी सरकारी सेवक ने घर अथवा फ्लैट बनाने या अधिगृहीत करने के लिए सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) से निकासी का लाभ पहले ही उठा लिया है तो दूसरे घर के लिए जीपीएफ की निकासी की अनुमति नहीं है।

वर्तमान में, दूसरा घर अधिगृहीत करने के लिए दूसरी निकासी की अनुमति देने हेतु जीपीएफ नियमों में संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****